

110

20/10/22

परावर्ती पेश उच्च स्तर पर कि नौर से कोई उपर नहीं। परावर्ती प्रकृत कि जाने के पश्चात कृषि कि लक्ष्य हेतु नोटिस तलबाना आज दिनांक तक पेश नहीं किपे गये हैं। जबकि परावर्ती के साथ नोटिस पेश कि जाने चाहिए थे। जबकि नियमावली नोटिस तलबाना बात दिवस में पेश करने चाहिए थे। जिसके अभाव में प्रकरण के निष्पत्ति में अनावश्यक विलम्ब हुआ है। जिससे यह स्पष्ट है कि जमीन द्वारा आई 9 R 5 सी.पी.सी. से दिपे गये निर्देशों कि पालना नहीं कि गई है। जो कवहेलना की श्रेणी में काना है।

कत. इस आधार पर तदधीनकार श्रीमदोपुर (जमीन) द्वारा उल्लूत प्राण पत्र नियम 14(4) राठ भूठ राठ कृषिनिपम के आई 9 R 5 सी.पी.सी. के तहत प्राण खारीज किपा जाग है। परावर्ती के लक्ष्य कुमर होकर नम्वर ले कप होकर दाकिड रूपर से।

(अनिल कुमार)
 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
 नीमकाथाना (सीकर)

